अनुबोधन, खण्ड 1, अंक 2, जून 2025, पृष्ठ 71–75
ISSN: 3049-4184 (प्रिन्ट) 3108-1185 (ऑनलाइन)
प्रकाशित: 30 जून 2025
जर्नल वेबसाइट: https://anubodhan.org

इच्छा मृत्यु (Euthanasia) एवं कानून

डॉ० राहुल वर्मा*

संलेखना मन की उच्चतम आध्यात्मिक दशा का सूचक है। संलेखना मृत्यु का आकस्मिक वरण नहीं है और न ही वह मौत का आवाहन ही है, वरन जीवन के अंतिम क्षणों में सावधानी पूर्वक चलाना है। संलेखना जीवन की अंतिम आवश्यक साधना है। वह जीवन मंदिर का सुन्दर कलश है। श्रमण और श्रावक दोनों के लिए संलेखना आवश्यक मानी गई। श्वेताम्बर परम्परा में ''संलेखना''[1] शब्द का प्रयोग हुआ है तो दिगम्बर परंपरा में सल्लेखना शब्द का। संलेखना व्रतराज है। जीवन की अन्तिम वेला में की जाने वाली एक उत्कृष्ट साधना है। जीवन भर कोई साधक उत्कृष्ट तप की साधना करता रहे, पर अन्त समय में यदि वह राग–द्वेष के दल–दल में फस जाये तो उसका जीवन निष्फल हो जाता है। उसकी साधना विराधना में परिवर्तित हो जाती है।

आचार्य अभयदेव ने ''स्थानांगवृति''[2] में संलेखना की परिभाषा करते हुए लिखा है– जिस क्रिया के द्वारा शरीर एवं कषाय को दुर्बल और कृश किया जाता है, वह संलेखना है। ''ज्ञातासूत्र'' की वृत्ति[3] में भी इसी अर्थ को स्वीकार किया है। ''प्रवचनसारोद्वार'' में[4] शास्त्र में प्रसिद्ध चरम अनशन की विधि को संलेखना कहा है।

संलेखना यह ''सत्'' और ''लेखना'' इन दोनों के संयोग से बना है। सत् का अर्थ सम्यक् और ''लेखना'' का अर्थ है कृश करना। सम्यक् प्रकार से कृश करना। जैन दृष्टि से कार्य और कषाय को कर्म बन्धन का मूल कारण माना है। इसीलिए उसे कृश करना ही संलेखना है। आचार्य पूज्यपाद ने[5] और आचार्य श्रुतसागर[6] ने कार्य व कषाय को कृश करने पर बल दिया। श्री चामुण्डराय ने ''चरित्रसार'' में लिखा है – बाहरी शरीर का और भीतरी कषायों का क्रमशः उनके कारणों को घटाते हुए सम्यक् प्रकार से क्षीण करना

*विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.) ई–मेलः rahul.verma@eklavyauniversity.ac.in

संलेखना है। संलेखना के दो भेद बतायें गये है– नित्यमरण और तद्भवमरण । तद्भवमरण को सुधारने के लिए संलेखना का वर्णन है। आचार्य उमास्वाति ने लिखा–मृत्यु काल आने पर साधाक को प्रीतिपूर्वक संलेखना धारण करनी चाहिए। आचार्य पूज्यपाद आचार्य अकलंक और आचार्य श्रुत सागर ने ''मारणांतिकी संलेखना जोषिता'' में जोषिता का अर्थ ''प्रीतिपूर्वक'' किया है। जिस संलेखना में प्रीति का अभाव है, वह संलेखना सम्यक संलेखना नहीं है। जब कभी मृत्यु पीछा करती है उस समय सामान्य प्राणी की स्थिति अत्यन्त कठिन होती है। संलेखना के साथ मारणांतिक विशेषण प्रयुक्त होता है। इससे अन्य तपःकर्म से संलेखना का पार्थक्य और वैशिष्ट्य परिज्ञात होता है। कार्य संलेखना को बाह्य संलेखना कहते हैं, और कषाय संलेखना को आभ्यन्तर संलेखना। बाह्य संलेखना में आभ्यन्तर कषायों को पुष्ट करने वाले संलेखना में कषाय क्षीण होने से तन क्षीण होने पर भी मन में अपूर्व आनन्द रहता है। संलेखना में शरीर और कषाय को साधक इतना कृश कर लेता है, जिससे उसके अन्तर्मानस में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती। काफी समय से हमारे देश में इच्छा मृत्यु के मुद्दे पर काफी विचार और विमर्श किया जा रहा था जहाँ कई लोग, धर्म इसके पक्ष में थे, वही कुछ लोगों की राय में इच्छा मृत्यु (Euthanasia) को कानूनी मंजूरी मिलना एकदम गलत था लेकिन सालों से हमारे देश में इस मुद्दे पर हो रही इस बहस को हाल ही में अंत हो गया और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के कानून पर अपनी राय रखते हुए, इच्छा मृत्यु को सही करार दे दिया है यानी अब अन्य कई देशों की तरह हमारे देश में भी इच्छा मृत्यु को सही करार दे दिया है, यानी अब अन्य कई देशों की तरह हमारे देश में भी इच्छा मृत्यु एक कानूनी अधिकार बन गया है। किसी जानलेवा बीमारी से या फिर लाइलाज बीमारी से ग्रस्त लोगों को उनकी इच्छा से मृत्यु है यानी अगर कोई इंसान बीमार है और उसकों ये अधिकार प्राप्त होगा कि वह इच्छा मृत्यु का वरण करने की स्वतंत्रता है।

दुनिया में इच्छा मृत्यु दो प्रकार से दी जाती है, जिनमें से एक प्रकार की इच्छा मृत्यु को सक्रिय इच्छा मृत्यु (Active Euthanasia) कहा जाता है और दूसरी प्रकार की इच्छा मृत्यु को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु (Passive Euthanasia) के नाम से जाना जाता है। भारत वर्ष में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मार्च 2018 में संविधान द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त हुई है।

सक्रिय इच्छा मृत्यु (Active Euthanasia) के अंतर्गत पीड़ित इंसान को डॉक्टर की मद्द से मृत्यु दी जाती है डॉक्टर द्वारा पीड़ित व्यक्ति को जहरीली दवा या फिर इजेक्शन देकर उसकी मृत्यु कर दी जाती है हॉलांकि इस प्रकार की मृत्यु केवल कुछ ही परिस्थितियों में दी जाती है और ये परिस्थितियॉ इस प्रकार है– अगर किसी व्यक्ति को कोई लाइलाज बीमारी हुई हो और बीमारी से वो काफी पीड़ित होने के साथ–साथ वेंटिलेटर के सहारे ही जीवित हो इसके अलावा उस व्यक्ति के दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया हो इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे व्यक्ति को मृत्यु दी जाती है केवल कुछ ही देश में इस तरह की इच्छा मृत्यु यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु देने का कानून है भारत सहित कई देशों में ये तरीके को एकदम गलत माना जाता है।

निष्क्रिय इच्छा मृत्यु[7] (Passive Euthanasia – 09 March 2018) इस प्रकार की इच्छा मृत्यु में किसी भी तरह की जहरीली दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से जीवन रक्षक उपकरण की मद्द से जीवित है और वो व्यक्ति या फिर उसके परिवार वाले इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगाते है और उसको वो दवा भी बंद कर दी जाती है जिनकी मद्द से वो जीवित है। अगर व्यक्ति लम्बे समय से कोमा में हो तो उसके परिवार वाले उस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगा सकते हैं इस प्रकार के इच्छा मुत्यु के तरीके को दुनिया के ज्यादातर देशों द्वारा स्वीकार किया गया है।

सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के परिणाम एक ही होता है और वो परिणाम मृत्यु ही है इसके अलावा दोनों तरह की मृत्यु केवल उन्हीं लोगों की दी जाती है जिनका जीवन लगभग खत्म हो चुका हो और वो दवाईयों के सहारे जीवित हो। इन दोनों तरह की इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगाने का तरीका एक ही है यानी अगर व्यक्ति अपना फैसला लेने की स्थिति में नहीं होता है तो उसके परिवार वालों के द्वारा उसे इच्छा मृत्यु देने का फैसला लिया जा सकता है।

भारत का नाम पहले उन देशों में शामिल था जहाँ पर इच्छा मृत्यु गैर कानूनी थी और किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं था कि वो अपने लिए इच्छा मृत्यु को चुन सके लेकिन हाल में ही हमारे देश में इसे वैध कर दिया गया है। साथ ही भारत में केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की ही इजाजत है और

सक्रिय इच्छा मृत्यु अभी भी गैर कानूनी है।

भारत में इच्छा मृत्यु कानून बनाने की लड़ाई साल 2009 के एक केस के चलते शुरू हुई थी, 2009 में इच्छा मृत्यु से जुड़ा हुआ एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था इस केस में अरूणा शानवाग नाम की महिला के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी येरिट (याचिका) जानी मानी पत्रकार और कार्यकर्ता पिंकी विरानी ने कोर्ट में दायर की थी और अपनी इस याचिका में पिंकी ने कहा था कि अरूणा शानवाग को वेटिलेटर से हटा देना चाहिए और उन्हे इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए अरूणा शानवाग एक नर्स थी जिनके साथ साल 1973 में एक दर्दनाक हादसा हुआ था इस हादसे के चलते इन्होनें अपने जीवन के करीब 42 साल कोमा में गुजारें थे और इनकी मौत साल 2015 में हुई थी। अरूणा शानवाग किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में शानवाग कार्यरत थी। इसी हॉस्पिटल में एक दिन उनके साथ एक वार्ड ब्यॉय सोहन लाल ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी जिसके परिणामस्वरूप गले की नस दब गई थी जिसके कारण वो बेहोश हो गई शानवाग के बेहोश होने के बाद सोहनलाल ने उनके कान से सोने की बालिया निकाल ली थी और शानवाग को छोड़कर भाग गया था। उस वक्त उनकी आयु 23 वर्ष की थी। उनकी जिन्दगी वेंटिलेटर पर निर्भर हो गई थी गला दबने के कारण उन्हें लकवा हो गया था और उनके देखने की शक्ति भी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में ये फैसला लिया कि कठोर दिशा निर्देशों के तहत भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को एक कानून बना देने चाहिए। जब तक यह कानूनो पूर्ण रूप से तैयार नही हो जाता तब तक गाइडलाइन को फॉलो करना होगा और अपनी एक लिविंग विल बनानी होगीं (विधिक पक्ष) –

1. 18 वर्ष से ऊपर वाली आयु का व्यक्ति अपने जीवन की वसीयत लिख सकता है लेकिन लिखने वाला व्यक्ति दिमागी रूप से सेहतमंद हो साथ ही उसे यह भी भान होना चाहिए।

2. जिंदगी की वसीयत बिना दबाव के लिखी जानी चाहिए और लिखित रूप में होने पर ही मान्य की जायेगी साथ ही स्पष्ट होनी चाहिए।

3. वसीयत (विल) लिखने वाले व्यक्ति द्वारा वसीयत में भी ये लिखा होना चाहिए कि कब उसका इलाज रोका जा सकता है जैसे – व्यक्ति कोमा में

चले जाते है या फिर वेंटिलेटर के सहारे ही जीवित है तो उस समय में डॉक्टरो को क्या करना चाहिए।

4. कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वसीयत में उस व्यक्ति को ये भी लिखना होगा कि अगर वो फैसला लेने की हालत में नहीं होता है तो उसकी जगह कौन व्यक्ति उसके जीवन का फैसला ले सकता है।

5. अगर किसी व्यक्ति ने एक से अधिक वसीयत यानी बिल लिखी होगी, तो ऐसे हालातों में उसकी उस वसीयत को मान्यता दी जाएगी जो उसने सबसे आखिरी में लिखी होगी इसके अलावा इस लिविंग विल को बनाते समय दो गवाहों की भी जरूरत होगी।

6. ये विल केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही लिखी जाएगी और इस विल को बनाते समय मजिस्ट्रेट के साथ दो गबाहों का भी होना जरूरी होगा, इस विल पर इन सबके हस्ताक्षर भी होना अनिवार्य होगा।

7. जिस व्यक्ति ने अपनी ये वसीयत बनवाई होगी तो उसके परिवार को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए अर्थ यह है कि इस वसीयत के रजिस्टर्ड होने के बाद, इस वसीयत की जानकारी वसीयतकर्ता के परिवार को दी जाएगी।

जैन धर्म सामान्य स्थिति में चाहे वह स्थिति लौकिक हो, धार्मिक हो या अन्य किसी प्रकार की हो, मरने की अनुमति नहीं देता। किन्तु जब साधक के समक्ष तन और आध्यात्मिक सद्गुण दोनों में से किसी एक को ग्रहण करने की स्थिति उत्पन्न हो वह देह का परित्याग करके ही आध्यात्मिक सद्गुणों को अपनाता है। जो कानून भारत वर्ष में इच्छा मृत्यु पर बना है, उसके मूल में संलेखना की अवधारणा ही है।

संदर्भ

1. समन्त भद्र, समीचीन धर्मशास्त्र 6–2
2. स्थानांग वृत्ति अ. 2
3. ज्ञाता धर्मकथांग सूत्र वृत्ति, 1–1
4. प्रवचन सारोद्वार, पृ. 135
5. सर्वार्थसिद्धि, भाष्य, अध्याय 7 श्लोक 22, पृ. 363
6. तत्वार्थ सूत्र, 7–22
7. Deepawali Divine Information in hindi by karnika, - 18 April 2022

Copyright © 2025 Siri Research Foundation. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-ND 4.0).